अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

06 15.09.2023	**न्यायालय उपायुक्त, रॉची** अधिग्रहण वाद सं० 28 आर० 28/2022–23 राज्य बनाम् हरिहर सिंह पिता स्व० कपिलदेव सिंह निवासी न्यु बांधगाड़ी, दीपाटोली रोड सं० 6, थाना सदर, जिला रॉची .... विपक्षी आदेश प्रस्तुत वाद की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, रॉची के द्वारा ज्ञापांक 5858/अप०शा०(ग्रा०) दिनांक 20.10.2022 तथा ज्ञापांक 7097/अप०शा०(ग्रा०) दिनांक 14.12.2022 के माध्यम से नामकुम थाना कांड सं0–319/22 दिनांक 11.09.2022 धारा–414 भा०द०वि० एवं 4/21 Mines & Mineral (D&R) Rule 1957 & 4/54 Jharkhand Minor Mineral Concession Rules, 2004 & 9/11 Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining Transportation & Storage) Rule 2017 में जप्त हाईवा वाहन सं० –JH-01DT-8867 एवं OR-16C-5574 को राजसात की कार्रवाई करने के अनुशंसा के आधार पर आरम्भ किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उपरोक्त नामकुम थाना कांड सं0–319/22 दिनांक 11.09.2022 धारा–414 भा०द०वि० एवं 4/21 Mines & Mineral (D&R) Rule 1957 & 4/54 Jharkhand Minor Mineral Concession Rules, 2004 & 9/11 Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining Transportation & Storage) Rule 2017 वादी श्री विश्वनाथ उरॉव, जिला खनन कार्यालय, रॉची के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त हाईवा वाहन सं० JH-01DT-8867 एवं OR-16C-5574 के मालिक तथा चालक के विरुद्ध अवैध रूप से बालु का उत्खनन एवं परिवहन करने के आरोप के आधार पर दर्ज किया गया है। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षणोपरान्त इस काण्ड को धारा–414 भा०द०वि० एवं 4/21 Mines & Mineral (D&R) Rule 1957 & 4/54 Jharkhand Minor Mineral Concession Rules, 2004 & 9/11 Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining Transportation & Storage) Rule 2017 के अन्तर्गत उपरोक्त प्राथमिकी अभियुक्त के खिलाफ सत्य पाया गया है।	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	. 3 उपरोक्त वर्णित प्रावधान तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उपरोक्त पारित आदेश के आलोक में इस न्यायलय में वाहन राजसात की कार्रवाई लंबित रहना न्यायोचित नहीं है चूंकि उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 27.01.2018 झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है। प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुना। माननीय उच्च न्यायालय ने Cr. Revision No.-862 of 2020 मे पारित आदेश के कंडिका 9 मे आयोजित किया है कि – However the court is not denuded of the power of take cognizance of the offence under the Penal Code and the offences enumerated under the Rules notified by the State Government. Under the Notified Rules of the State Government, the competent court to order for confiscation of the seized vehicle is the court of Deputy Commissioner and not the court of Chief Judicial Magistrate. उपरोक्त न्यायनिर्णय कि आलोक मे प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय मे संधारणीय है। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी के द्वारा उपरोक्त वाहन मे परिवहन किये जा रहे बालु के वैधनिकता के संदर्भ मे ना तो कोई प्रमाणिक साक्ष्य नो ही तथ्यात्मक कागजात प्रस्तुत किये गये है। एन०जी०टी० द्वारा जारी आदेश के आलोक मे प्रत्येक वर्ष दिनांक 10 जून से 15 अक्टुबर तक बालु का उठाव एवं खनन पूर्णतः बंद रहता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपरोक्त वाहन मे लघु खनिज/बालु का परिवहन अवैध रूप से किया जा रहा था, जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान हुआ है। अतः नामकुम थाना कांड सं0–319/22 दिनांक 11.09.2022 हाईवा वाहन सं० JH-01DT-8867 एवं OR-16C-5574 को राजसात किया जाता है। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे। उपायुक्त रॉंची लेखापित एवं संशोधित उपायुक्त	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.11.23 01:51:20 -08:00
Location: 192.168.1.4